

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4224 सन् 2026**

आशीष यादव

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : ब्रिजेश कुमार यादवविपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव, शिकायतकर्ता की ओर से आज न्यायालय में वकालतनामा दाखिल करने वाले अधिवक्ता श्री दिनेश चंद्र, एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री रंजना श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत आवेदन प्रार्थी को पुलिस थाना शिवरतनगंज, जिला अमेठी में पंजीकृत अपराध संख्या 16 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त मामला दिनांक 01.03.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि जब सूचनाकर्ता के पिता अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तब तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से आगे निकलकर उन्हें रोक लिया और हॉकी से उन पर हमला किया, जिसके कारण वे गिर गए और बेहोश हो गए।
4. अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए सूचनाकर्ता के बयान में, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण को दोहराया है।
5. अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए पीड़ित के बयान में, उसने कथित रूप से कहा कि दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, उसकी मोटरसाइकिल को रोका और उसे सड़क पर नीचे धकेल दिया, जिसके बाद पीछे से एक और मोटरसाइकिल आई और दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने के आशय से उसके सिर पर हॉकी और लोहे की रॉड से वार किया। पीड़ित ने सूरज और अखिलेश के नामों का उल्लेख किया और उनकी आवाज़ से उन्हें पहचाना, तथा उनके विरुद्ध पुरानी रंजिश होना बताया। पीड़ित ने कहा कि वह अन्य दो व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सका।
6. अन्वेषण अधिकारी ने यह अभिलिखित किया है कि सहदेव के अभिरक्षा बयान में उसने कहा था कि पीड़ित की मोटरसाइकिल को रोकने वाले व्यक्ति आकाश और आशीष (प्रार्थी) थे।
7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कथित किया गया है कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस को डायल 112 के माध्यम से दी गई प्रारंभिक सूचना में एक मोटरसाइकिल द्वारा टक्कर मारे जाने से हुई दुर्घटना का उल्लेख था, जिसमें पीड़ित घायल हो गया था।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, वे मामले के उक्त पहलू का खंडन नहीं कर सकीं।
9. मामले के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रारंभिक सूचना मोटरसाइकिल दुर्घटना घटित होने के संबंध में थी,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्पश्चात पीड़ित ने बयान दिया कि दो व्यक्ति, जिनके विरुद्ध उसकी पुरानी रंजिश थी, उसे मारने में संलिप्त थे, इसलिए प्रार्थी को उन व्यक्तियों के कस्टोडियल बयान के आधार पर घसीटा गया है, और इस तथ्य के साथ कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 03.03.2026 से जेल में निरुद्ध है, मेरा यह मत है कि उक्त तथ्य प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. प्रार्थी- **आशीष यादव** को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषप्रद समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून, 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।